रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3988] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2019/अग्रहायण 20, 1941
No. 3988] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2019/AGRAHAYANA 20, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10, दिसम्बर, 2019

का.आ. 4438(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) द्वारा, नमक की गुणवत्ता और मात्रा को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक नमक तकनीक समझने और अपनाने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु **नमक कामगारों को प्रशिक्षण देने की केंद्रीय सेक्टर स्कीम** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) जो नमक आयुक्त संगठन, जयपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, का संचालन किया जा रहा है;

और, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला व्यय अंतवर्लित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्याक धारक होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यष्टि जो आधार संख्यांक धारक नहीं है या जिसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए

हकदार हो और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन प्रसुविधाएं उपलब्ध कराए और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील के भीतर आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे :

परंतु उस समय तक जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित किया जाता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप;

(ii) आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक, फोटो साहित; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड ; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे व्यक्ति का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या

(x) किसी विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से पदाविहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकेगी ।

2. विभाग इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि फायदाग्राहियों को उक्त अपेक्षाओं के प्रति जागरूक बनाने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा ।

3. सभी मामलों में, जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित सुधारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) खराब अंगुलि छाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर के उपबंध करेगा या निर्बाध रीति से प्रसुविधा देने हेतु अंगुलि छाप अधिप्रमाणन के साथ-साथ चेहरे का अधिप्रमाणन भी करेगा;

(ख) यदि अंगुलि छाप या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता वाले समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा संभव और स्वीकार्य अधिप्रमाणन, यथास्थिति प्रस्तावित किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, ऐसे मामलों में स्कीम की प्रसुविधा मूल आधार पत्र के आधार पर दी जा सकेगी जिसकी प्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रेस्पॉन्स कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है तथा क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर की अपेक्षित व्यवस्था विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी ।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम और मेघालय राज्यों के सिवाय, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी-34029/27/2017-नमक]

मंमीत कौर नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2019

S.O. 4438(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry in the Government of India (*hereinafter referred to as the Department*), is administering the **Central Sector Scheme of Training to Salt Workers for Technology Up-gradation** (*hereinafter referred to as the Scheme*) to inculcate and adopt modern Salt Technology for improving the quality and quantity of salt, which is being implemented through the Salt Commissioner's Organisation, Jaipur (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*);

And whereas, under the Scheme, sustenance allowance of Rs. 500/- (five hundred rupees only) per day (*hereinafter referred to as the benefit*) is paid to the trainee salt workers and labourers (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby require to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the training programme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar

enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:–

a. (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment; and

b. any one of the following documents, namely:-

i. Bank or Post office Passbook with Photo; or

ii. Permanent Account Number (PAN) Card; or

iii. Passport; or

iv. Ration Card; or

v. Voter Identity Card; or

vi. MGNREGA Card; or

vii. Kisan Photo passbook; or

viii. Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

ix. Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

x. any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

a. in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

b. in case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

c. in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick

Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administrations, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. P-34029/27/2017-SALT]

MANMEET KAUR NANDA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4439(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है, **नमक कामगारों के बालकों को पुरस्कार प्रदान करने की केंद्रीय सेक्टर स्कीम** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) जो नमक आयुक्त संगठन, जयपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, का संचालन किया जा रहा है;

और इस स्कीम के अधीन, नमक कामगारों के कक्षा 6 से कक्षा 8, कक्षा 9 से कक्षा 10 और कक्षा 11 से कक्षा 12 में पढ़ रहे मेधावी बालकों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से फायदाग्राही कहा गया है) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक बार क्रमश:, 1000/- रुपए, 1500/- रुपए और 2000/- रुपए (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से प्रसुविधा कहा गया है) यथास्थिति, के पुरस्कार, स्कीम के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा एकमुश्त संदत्त, प्रदान किए जाते हैं ।

और, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला व्यय अंतवर्लित है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी बालक से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्याक धारक होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का इच्छुक कोई बालक जो आधार संख्यांक धारक नहीं है या जिसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उसे इस स्कीम में रजिस्ट्रीकरण करने के पूर्व, उसके माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन हेतु, आवेदन करना अपेक्षित होगा परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे बालकों को आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा करेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील के भीतर आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए :

परंतु उस समय तक जब तक किसी फायदाग्राही को आधार समनुदेशित किया जाता है, इस स्कीम के अधीन ऐसे फायदाग्राहियों को प्रसुविधा निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन दी जाएंगी, अर्थात् :--

(क) (i) यदि फायदाग्राही का पांच वर्ष की आयु के पश्चात् नामांकन कराया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप या उसकी बायोमैट्रिक अद्यतन करने की नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) फायदाग्राही का निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकार्ड; या

(ii) स्कूल पहचान पत्र, माता-पिता के नाम सहित, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित; और

(ग) इस स्कीम के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ फायदाग्राही के संबंध के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अर्थात्:-

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकार्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड ; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड ; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) आर्मी कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार हकदारी कार्ड; या

(vii) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; या

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. विभाग, स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि फायदाग्राहियों को उक्त अपेक्षाओं के प्रति जागरूक बनाने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा ।

3. सभी मामलों में, जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित सुधारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) खराब अंगुलि छाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर के उपबंध करेगा या निर्बाध रीति से प्रसुविधा देने हेतु अंगुलि छाप अधिप्रमाणन के साथ-साथ चेहरे का अधिप्रमाणन भी करेगा;

(ख) यदि अंगुलि छाप या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता वाले समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा संभव और स्वीकार्य अधिप्रमाणन, यथास्थिति प्रस्तावित किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, ऐसे मामलों में स्कीम की प्रसुविधा मूल आधार पत्र के आधार पर दी जा सकेगी जिसकी प्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रेस्पॉन्स कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है तथा क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर की अपेक्षित व्यवस्था विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी ।

4. उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बालक को इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा देने से उसकी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में या ऐसे मामले में जिसमें बालक को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर पैरा 1 के उप-पैरा 3 के परंतुक के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान अधिप्रमाणन करके उसको प्रसुविधा दी जाएगी और जहां

प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर दी जाती है वहां उसका अभिलेख रखने के लिए एक अलग रजिस्टर बनाया जाएगा जिसकी विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आवधिक समीक्षा या लेखा परीक्षा की जाएगी ।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम और मेघालय राज्यों के सिवाय, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी-34029/27/2017-नमक]

मनमीत कौर नंदा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2019

S.O. 4439(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry in the Government of India (hereinafter referred to as the Department), is administering the **Central Sector Scheme of Grant of Rewards to the children of Salt Workers** (*hereinafter referred to as the Scheme*), which is being implemented through the Salt Commissioner's Organisation, Jaipur (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*);

And whereas, under the Scheme, rewards of Rs.1000/-, Rs.1500/- and Rs.2000/- (*hereinafter collectively referred to as the benefit*) as the case may be, are granted once in each academic year, to the meritorious children of salt workers studying in class VI to VIII, IX to X and XI to XII, respectively (*hereinafter collectively referred to as the beneficiary*), paid in lump sum by the Implementing Agency at the commencement of the academic year as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby require to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in

coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, the benefit under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

i. Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

ii. School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

i. Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

ii. Ration Card; or

iii. Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

iv. Pension Card; or

v. Army Canteen Card; or

vi. any Government Family Entitlement Card; or

vii. any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

a. in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

b. in case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

c. in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the

basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1 and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administrations, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. P-34029/27/2017-SALT]

MANMEET KAUR NANDA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.16 19:05:42 +05'30'